भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3300
सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के
उम्मीदवारों की भर्ती

3300. श्री एस॰ मुनिस्वामीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सकारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती को प्रोत्साहित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार का निर्णय क्या है और सरकार किस तरीके से उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की योजना बना रही है;
(घ) क्या सरकार की इसके लिए किसी राज्य और वर्ग को विशेष प्राथमिकता देने की कोई योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु सकारात्मक कार्यवाही के लिए 2006 में एक समन्वय समिति की स्थापना की गई थी। अब तक समन्वय समिति की 9 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। समन्वय समिति के निर्णयों के अनुपालन में, शीर्ष उद्योग संघों नामतः भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चेम्बर परिसंघ (फिक्की) तथा असोसीएटेड चेम्बरस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने समावेशन प्राप्त करने के लिए शिक्षा, रोजगारपरकता, उद्यमशीलता एवं रोजगार पर केंद्रित अपनी सदस्य कम्पनियों के लिए एक स्वैच्छिक आचार सहिंता (वीसीसी) तैयार की है।

उद्योग संघों के सदस्यों द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, छात्रवृत्तिका, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम एवं कोचिंग आदि शामिल हैं।

*****